

d

**RAJASTHAN HIGH COURT BENCH JAIPUR**

RHC/S.K./2012-2013/71      Dated 31.05.2012

**Tender Notice**


Tenders are hereby invited in sealed envelopes for Supply, installation testing, commissioning and operation of LCD Display System unit along with its softwares data transfer unit, court hall and outside display, Scrolling display with message lines, window based software for data proceeding transmitting on boards and on Internet with SMS service, inter connection cable and its accessories, for display of case list, court allotment and serial number of processing of cases in 20 court rooms, 19 numbers of 40" LCD display, and other items mentioned in terms and conditions, each display board with the flexibility of any change in display items. Other miscellaneous items and wiring parts as required at site is in the scope of contract, none extra payment paid by this office.

Equipments of Display system shall have to be installed and made operational in working condition in the High Court premises as per site requirement so as to show court allotment and serial number of proceeding of cases on the display.

Tenderer will be bound by at least three-year gurantee and project will have to be operated by the tenderer. No extra payment shall be made by the office. It is mandatory to mention rates of AMC for ten years after completion of 3 year gurantee.

Tender forms, with terms & conditions can be obtained from the Cash Section of Rajasthan High Court Bench, Jaipur, on payment of non refundable tender fee of Rs. 500/- only by cash or by way of bank demand draft, from 08/06/2012 to 25/06/2012 in office hours from 7.30 a.m. to 12.30 at noon. Detailed information regarding tenders will also be available on High Court Website – <http://hcraj.nic.in> from 08/06/2012

The last date of submitting tenders is 26/06/2012 up to 10.30 a.m., and the same will be opened on the same date at 11.00 a.m. in the office of Registrar (Admn.) in presence of the present tenderers. Earnest money Rs. 1,24,000/- (Rs. One lakh and twenty four thousand) 2% of the estimated cost will have to be deposited by the tenderers, demand draft shall be in favour of Registrar (Administration) Rajasthan High Court Bench Jaipur. The undersigned will have right to accept or reject any tender, without assigning any reason, and to make any change in the dates of receiving and opening tenders.

  
Registrar (Administration)

**RAJASTHAN HIGH COURT BENCH JAIPUR**  
**TENDER FORM**

1. Tender for .....
2. Name and postal address of the firm submitting tender .....
3. Address to .....
4. Reference .....
5. The tender fee amounting to Rs. 500/- has been deposited vide cash receipt No. .... and date .....
6. We agree to abide by all the conditions mentioned in . Tender Notice Number . RHC/S.K./2012-2013/ 71 date 31.05.2012 and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the term mentioned therein).
7. The rates for the supply of following items are as under and the quantity to be supplied noted against each.

<i>Sr. No.</i>	<i>Items detail</i>	<i>Approx. required qty. up to 30/06/2013</i>	<i>Rates in words and figures with three year gurantee</i>	<i>AMC rates for ten years in words and figures after gurantee period</i>
1	40" LCD Full HD	18 Nos.		
2	18.5" LCD	41 Nos.		
3	Mini laptop 10"/12"	20 Nos		
4	Ceiling mount bracket	12 Nos		
5	Window based software for data processing, transmitting and up-load facility along with SMS Service	As per standered norms and requirement		
6	Data cables and Lan work as per requirement			
7	Installation of all items			

Supply, installation testing, commissioning  
 Operation of LCD Display System unit along with its softwares data transfer unit, court hall and outside display  
 Scrolling display with message lines  
 window based software for data proceeding transmitting on units  
 On Internet with SMS service  
 inter connection cable and its accessories  
 For display of case list  
 court allotment and serial number of processding of cases in 20 court rooms  
 18 numbers of 40" LCD  
 41 numbers 18.5" LCD display  
 each display unit with the flexiblity of any change in display items  
 Other miscellaneous items and wiring parts as required at site is in the scope of contract  
 no extra payment shall be paid by this office.

Equipments of Display system shall have to be installed  
Project will be operated by the tenderer according to working conditions of  
the office and the premises at site  
Display visibility must be sharp and must be visible at least from 25-30 feet.

8. Goods will be delivered within a period of ..... from the date of  
the receipt of firm order/goods will be delivered as under.

Quantity	Period/ date if any.
.....	.....

9. The rates quoted above are valid upto 31.03.2013.

10. Bank Draft/Bankers Cheque No. .... drawn on ..... (Name  
of Banker)/ cash receipt No. .... /Challan No. and date ..... for  
Rs. .... to cover earnest money is enclosed.

11. The Income Tax Clearance Certificate, Sales Tax Registration Number and  
Sales Tax Clearance Certificate are submitted herewith.

12. Declaration of manufacturer/Dealer, etc., is also enclosed.

Signature of tenderer

## Tender conditions for display system

### निविदा की शर्तें

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें

1. निविदाएँ मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी हैं। निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन नम्बर एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये।
2. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना काँट छांट के स्पष्ट रूप के अंकित की जानी चाहिए। निविदादाता को निर्माता/अधिकृत विक्रेता/डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागते समाहित होनी चाहिये। इन्सटोलेशन एवं रख रखाव के लिए नियुक्त स्टाफ की योग्यता एवं अनुभव स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
4. सफल निविदादाता से एकमुश्त अथवा 31.03.2013 तक कभी भी खरीद की जा सकती हैं।
5. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के आइटम्स की सप्लाइ का अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा। (सबलेट नहीं करेगा)
6. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण (साईज, मैक, स्पेशिफिकेशन, शर्तें, ड्राइंग्स आदि) देना होगा।
7. यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी निविदा/संविदा किसी भी समय निरस्त कर सकता हैं।
8. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
9. क्रयादेश आदेश जारी किया जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी।
10. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता हैं या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता हैं तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
11. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट जमा करानी होगी। बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी।  
यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता हैं, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार निष्पादित नहीं करता हैं या निविदा

स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता हैं या आदेशित सामग्री की आपूर्तिप्रदान करने में विफल रहता हैं तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी ।

12.क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा ।

13.सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी ।

14.क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर परिसमापित नुकसानी (लिक्वीडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी ।

(क) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत ।

(ख) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पाँच प्रतिशत ।

(ग) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का साढ़े सात प्रतिशत ।

(घ) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत ।

15.प्रदान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी ।16

16.क्रय समिति को निविदा वस्तुओं की गुणवता एवं लागत के आधार पर निर्णित करने का पूर्ण अधिकार होगा । क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व अन्य निविदादाताओं को निगोसियेशन के लिये आमंत्रित कर सकती हैं । इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती हैं ।

17.आपूर्ति की गयी सामग्री की कम से कम तीन वर्ष की गारन्टी शामिल होगी।गारन्टी एवं AMC अवधि में किसी भी प्रकार की मरम्मत अथवा रिप्लेसमेन्ट अथवा अतिरिक्त पार्ट्स के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा । तीन वर्ष की गारन्टी अवधि के पश्चात् 10 वर्ष हेतु AMC भी निविदा का भाग समझी जावेगी तथा क्रयादेश के विचारार्थ होगी।

18.क्रय समिति को पूर्ण अथवा आंशिक निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

19.क्रय समिति विज्ञप्ति में दी गई मात्रा से अधिक/ कम मात्रा में आवश्यकतानुसार क्रय कर सकेगी ।

20.गारन्टी एवं AMC अवधि में खराब यूनिट, प्रोजेक्ट अथवा अंश को बिना शुल्क रिप्लेसमेन्ट किया जायेगा। इस हेतु अलग से कार्यालय द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा। गारन्टी एवं AMC

- की अवधि पूर्ण होने पर निविदादाता चालू हालत में प्रोजेक्ट को तकनीकी रूप से सुदृढ स्थिति में कार्यालय को Handover करेगा। यदि उचित समझा जावेगा तो पूर्ववर्ति शर्तों पर ही AMC की अवधि 5 वर्ष आगे बढ़ायी जावेगी।
21. गारन्टी एवं AMC की एवज में निविदा मूल्य की 11% राशि अलग से भुगतान में से ही रोकी जावेगी अथवा निविदादाता फर्म रजिस्ट्रार ( प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर को जमा करायेगें जो कि गारन्टी अवधि एवं AMC की अवधि बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होने पर लौटायी जावेगी।
  22. निविदादाता को प्रोजेक्ट के सुचारू संचालन हेतु स्थान व विद्युत निःशुल्क उपलब्ध करायी जावेगी जिसमें निविदादाता का तकनीकी योग्यताधारी स्टाफ तीन वर्ष तक की गारन्टी अवधि के दौरान कार्यालय समय में पूर्ण अवधि तक एवं आवश्यकता होने पर कार्यालय समय के पश्चात् भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा।
  23. कोर्ट मास्टर्स/कोर्ट स्टाफ द्वारा मिनी लैपटॉप पर फीड किये गए सभी डाटा एल. सी. डी. पैनल तथा न्यायालय की इन्टरनेट साईट पर साथ- साथ प्रदर्शित होने चाहिए एवं N.I.C. के द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर के साथ लिंक होने के योग्य हो ताकि S.M.S. द्वारा भी जानकारी उपलब्ध करायी जा सकें।
  24. निविदादाता निविदा की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तों की सहमति देते हुए अपनी फर्म की सील सहित हस्ताक्षर करेगें।
  25. निविदा दरो में स्पष्ट प्रमाण पत्र अंकित होगा कि यह प्रोजेक्ट किसी भी उपभोक्ता से न्यूनतम दरों पर स्थापित किया जा रहा है। यदि दरों में अंतर पाया जायेगा तो अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य होगी।
  26. न्यायालय से मौखिक / लिखित शिकायत प्राप्त होने पर उसी समय यूनिट को ठीक करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रथम दिवस प्रतिघंटा 5000/- तथा आगामी दिवसों में प्रतिघंटा 2000/- रूपये की पेनेल्टी वसूलनीय होगी। शिकायत दर्ज करवाने हेतु कोई भी कोर्ट अधिकारी / विभागीय क्रय समिति के अधिकारीगण / सदस्य एवं उच्चाधिकारी सक्षम होंगें।
  27. क्रेता को अंतिम निर्णय लेने से पूर्व निर्देशित किये जाने पर 10 दिवस के पश्चात् निर्धारित समय पर Demonstration करवाना होगा ।
  28. निविदादाता पुराने डिस्प्ले सिस्टम के उपकरणों को जहाँ है, जैसा है की स्थिति में निरीक्षण उपरान्त निविदा में by back दर भी दर्शावे।